राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :— 3979/2025

पूनम कुमारी सोनी —**अपीलार्थी**

बनाम

1. प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर।
3. जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय, माध्यमिक शिक्षा, डीग।
4. प्रधानार्चाय, महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, छिचिरवाड़ी, कांमा, डीग।
5. दयाराम मीणा, अध्यापक लेवल—I, राजकीय प्राथमिक विद्यालय, पोखारढ़ाणी, रिंझवास, अलवर।

—**प्रत्यर्थीगण**

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 21.08.2025
आदेश की दिनांक : 01.09.2025

उपस्थित —
अपीलार्थी की ओर से : श्री गिरिराज राजोरिया, अभिभाषक

समक्ष :— पूनम दरगन, सदस्य (न्यायिक)
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करते हुए उक्त अपील की सुनवाई की गई।

2. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता कथन है यह कि अपीलार्थी वर्तमान में अध्यापक लेवल—1 के पद पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, पाटका नगर, डीग में कार्यरत है। उनका कथन है कि प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 22.07.2025 (अनुलग्नक—1) के द्वारा अपीलार्थी को अधिशेष मानते हुए समायोजन पर पदस्थापन महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, छिचिरवाड़ी, कांमा, डीग से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, पटका नगर, डीग में किया जाकर आदेश दिनांक 24.07.2025 (अनुलग्नक—2) के द्वारा कार्यमुक्त कर दिया गया। तथा अपीलार्थी ने दिनांक 24.07.2025 (अनुलग्नक—3) के द्वारा कार्यग्रहण कर लिया। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 30.06.2025 (अनुलग्नक—4) के द्वारा अपीलार्थी के स्थान पर निजी प्रत्यर्थी संख्या 5 का स्थानान्तरण कर दिया गया। उनका कथन है कि अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी के निकटवर्ती विद्यालयों में अभी भी पद रिक्त है (अनुलग्नक—6)। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा इस पर विचार किये एवं बिना काउंसलिंग किए और न ही आस—पास के रिक्त पदों को दर्शाए मनमाने तरीके ब्लॉक परिवर्तित कर दूरस्थ स्थान पर पदस्थापन कर दिया गया। इस संबंध में अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष दिनांक 12.08.2025 (अनुलग्नक—7) को अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर प्रत्यर्थी विभाग के आदेश

दिनांक 30.06.2025, 22.07.2025 एवं कार्यमुक्ति आदेश दिनांक 24.07.2025 को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त फरमाया जावे एवं प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित करे कि अपीलार्थी को निरन्तर महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, छिचिरवाड़ी, डीग में कार्य करने दिया जावे एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन पर निर्णय लेने के लिए भी प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित करे।

3. हमने अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता को अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना–पत्र पर सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

4. बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान करने का अनुरोध किया गया। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

5. अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए, अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी 2 सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित आधारों पर एक अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी 4 सप्ताह की अवधि में एक आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे।

6. अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(पूनम दरगन)
सदस्य (न्यायिक)